

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) शिक्षा विभाग अजमेर के आदेश दिनांक 30.07.2020 के द्वारा जियालाल रेगर, व.अ. राउमावि कालानाडा, अराई - अजमेर, के विरुद्ध विचाराधीन राजस्थान असेनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 17 की कार्यवाही समाप्त (DROP) किये जाने के फलस्वरूप एवं राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित पदोन्नति समिति द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) विषय- हिन्दी की रिक्तियों के विरुद्ध चयन आदेश क्रमांक शिविरा/संस्था/सी-ओए/डीपीसी/हिन्दी (शिडयूल-1) /2020-21 दि 15.03.21 एवं संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) शिक्षा विभाग कोटा के आदेश दिनांक 31.12.2020 के द्वारा जयप्रकाश त्रिपाठी राबाउमावि बूंदी, के विरुद्ध विचाराधीन राजस्थान असेनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 17 की कार्यवाही समाप्त (DROP) किये जाने के फलस्वरूप एवं राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित पदोन्नति समिति द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) विषय- हिन्दी की रिक्तियों के विरुद्ध चयन आदेश क्रमांक शिविरा/संस्था/सी-ओए/डीपीसी/चयन आदेश/2020-21 दिनांक 02.08.21 के द्वारा 2020-21 विभागीय पदोन्नति समिति चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची में सम्मिलित संलग्न सूची में विवरणित कर्मियों को विषय- हिन्दी के पद पर पे-बैंड 9300-34800 पीबी.-2 ग्रेड पे 4800 में चयनित कर पदोन्नति किये जाने के फलस्वरूप इन्हें उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

क्र.सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम अभ्यर्थी मय पदस्थापन	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पद स्थापन स्थान
1	2637 (1)	2007-08	जियालाल रेगर, व.अ. समावि कालानाडा अराई, अजमेर	25-08-1968	अ.जा.	01-08-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHOLPURIYA AJMER. (214219), ARAIN (08210210801 AJMER)
2	2285	2011-12	जयप्रकाश त्रिपाठी राबाउमावि बूंदी,	21-12-1966	सामान्य	01-04-20	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NEAR ROADWAYS BUS STAND KHATKAR (222319), (08230507715) (BUNDI)

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मियों जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/प्रधानाचार्य इसकी सुनिश्चितता करेंगे। संस्था प्रधान/नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नति कार्मिक के नाम वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान करना आवश्यक रहेगा। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए निदेशालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं इस अनुभाग की ई-मेल so.csection@gmail.com से तुरंत सूचित करेंगे।

पदोन्नति कार्मिक यदि अपनी पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, तो लिखित में प्रार्थनापत्र दिनांक- 22/09/2021 को संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेगा और संस्था प्रधान का उत्तर दायित्व होगा कि वो पदोन्नति कार्मिक को दिनांक 22.09.2021 (परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में भी) को आवश्यक रूप में नवीन पदोन्नति स्थान हेतु कार्यमुक्त करेगा। कार्मिक को पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन पर दिनांक 23/09/2021 तक पदोन्नति पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। संस्था प्रधान संबंधित कार्मिक की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करावे।

(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 13.09.21

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/डीपीसी 2020-21/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. शासन सचिव-शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
5. संबंधित शिक्षा उप निदेशक (प्रारम्भिक/माध्यमिक)
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारम्भिक)
7. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि पदोन्नति कार्मिक पदोन्नति आदेश विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कराने के लिये अधिकृत होंगे। यदि कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन स्थान परिवर्तन हुआ है तो संबंधित कार्मिक को सूचित कर इस कार्यालय को भी अवगत करावे।
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
9. संबंधित अधिकारी/कार्यालय/संस्थाप्रधान
10. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)